कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी नरेगा जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ),नागौर

क्रमांकः– महात्मा गांधी नरेगा /संस्थापन/बीआरपी विज्ञप्ति/2023–24/2104 दिनांकः– 25.07.2023

–:विज्ञप्तिः–

ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण

महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य योजना अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण करवाने हेतु ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की जिला स्तर पर आंवटित पदों के लिए संविदा आधार पर एक वर्ष के लिए अस्थाई नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र जिला स्तर पर दिनांक 26.07.2023 से दिनांक 02.08.2023 तक मध्य रात्रि 12:00 बजे तक ऑनलाईन (Online) आंमत्रित किये जाते है:–

क्र. सं.	सेवा का नाम	पदों की संख्या	मानदेय	निर्धारित योग्यताऐं			आवेदन की अंतिम तिथि
				शैक्षणिक	तकनीकी/प्रशैक्षणिक	आयु (आवेदन की अंतिम तिथि पर आयु)	
1	ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (BRP)	83	500/– प्रति व्यक्ति प्रति दिवस (सामाजिक अंकेक्षण अवधि के अनुसार)	स्नातक	सूचना प्रौद्योगिक/ कम्प्यूटर कार्य में दक्षता एवं RKCL द्वारा करवाये जा रहे कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (RSCIT)	21–64 वर्ष अधिकतम	02.08.2023

विज्ञप्ति का विस्तृत विवरण जिले की बैवसाईड **www.nagaur.rajasthan.gov.in** पर देखा जा सकता है। आवेदन पत्र केवल कार्यालय ई–मेल आई.डी. **BRPNAGAUR2023@GMAIL.COM** पर ऑनलाईन स्वीकार किये जायेगें। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं जिला कलक्टर नागौर

क्रमांकः– महात्मा गांधी नरेगा /संस्थापन/बीआरपी विज्ञप्ति/2023–24/2105-09 दिनांकः– 25.07.2023

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग नागौर का भेजकर लेख है कि संलग्न विभागीय पत्रों के अनुसार विज्ञप्ति का विस्तृत विवरण एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जिला वैवसाईट पर अपलोड करें। जिला वैबसाईट पर ब्लॉक संसाधन वयक्तियों (BRP) के आवेदन के प्रारूप हेतु मेन्यूबार में ऑनलाईन एप्लीकेशन नाम से सृजित करें। ऑनलाईन एप्लीकेशन मेन्यू में ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों (BRP) के आवेदन का प्रारूप PDF फॉर्मेट में अपलोड करें।
3. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी जिला नागौर।
4. संवाददाता राजस्थान पत्रिका नागौर को प्रेषित कर लेख है कि अपने नवीनतम नागौर जिले के संस्करण में न्यूनतम साईज में प्रकाशित करवाकर डीपीआर दर से बिल इस कार्यालय के नाम से भिजवावें।
5. रक्षित पत्रावली।

जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं जिला कलक्टर नागौर

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी नरेगा जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ),नागौर

क्रमांकः– महात्मा गांधी नरेगा / संस्थापन / बीआरपी विज्ञप्ति / 2023–24 / 2103 दिनांकः– 25.07.2023

–:विज्ञप्तिः–

ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी में अंकेक्षण कार्यो के लिए ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए ग्रामीण विकास विभाग (MoRD), भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा–निर्देश / अनुमोदन अनुसार संविदा मानदेय (मासिक आधारित) पर निर्धारित शर्तो पर एक वर्ष के लिए चयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में जिला परिषद स्तर पर पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या 686 दिनांक 20.10.2022 को निरस्त करते हुए ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online applications) आमंत्रित किये जाते हैः–

1. **सेवाओं के लिए मुख्य शर्तो का सारांशः–**

क्र. सं.	सेवा का नाम	पदों की संख्या	मानदेय	निर्धारित योग्यताऐं			आवेदन की अंतिम तिथि
				शैक्षणिक	तकनीकी / प्रशैक्षणिक	आयु (आवेदन की अंतिम तिथि पर आयु)	
1	ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (BRP)	83	500 / – प्रति व्यक्ति प्रति दिवस (सामाजिक अंकेक्षण अवधि के अनुसार)	स्नातक	सूचना प्रौद्योगिक / कम्प्यूटर कार्य में दक्षता एवं RKCL द्वारा करवाये जा रहे कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (RSCIT)	21–64 वर्ष अधिकतम	02.08.2023 मध्य रात्रि 12:00 बजे तक

विज्ञप्ति का विस्तृत विवरण जिले की बैवसाईड **www.nagaur.rajasthan.gov.in** पर देखा जा सकता है। आवेदन पत्र केवल कार्यालय ई–मेल आई.डी. **BRPNAGAUR2023@GMAIL.COM** पर दिनांक **26.07.2023 से 02.08.2023 को मध्यरात्रि 12:00 बजे तक** ऑनलाईन स्वीकार किये जायेगें। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

2. **आवेदन हेतु दिशा–निर्देशः–**
   1. ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया संपादित करने हेतु सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम 2000 आदेश संख्या 02 / 2020 एवं संशोधित आदेश संख्या 10 / 2020 में दिये गये प्रावधानानुसार ऑनलाईन (Online) रीति से पूर्ण पारदर्शिता के साथ अखबार एवं वेबसाईड पर विज्ञप्ति जारी करके आवेदन पत्र लिये जायेगें।
   2. सभी आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) में समस्त वांछित सूचनाएं आवश्यक रूप से अंकित करनी होगी। ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व संबंधित जिला नागौर की वेबसाइड **www.nagaur.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञप्ति एवं अन्य आदेशों, दिशा–निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ ले तथा इनमें दिये गये निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही आवेदन भरे। आवदेक अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियां सही–सही भरी गयी है। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गयी प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जायेगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यान पूर्वक भरें।क्योंकि एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटी को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार भी स्वीकार नहीं किया जायेगा। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की ही होगी।

3. **परीक्षा शुल्कः–** आवेदक द्वारा प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ सामान्य अभ्यर्थी से 100 रूपये का परीक्षा शुल्क ऑनलाईन SSAAT के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सचिवालय शाखा के बैंक खाता संख्या **38872762396** एवं आईएफसी कोड **SBIN0031031** में Director SSAAT के नाम से जमा कराना होगा तथा उसकी फोटो प्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अति. पिछड़ा वर्ग के आवेदकों परीक्षा शुल्क जमा करवाने से छूट होगी।

4. पात्रता, आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तें:–

सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम 2020 के आदेश क्रमांक एफ 61(21)SSAAT/नियमावली/23019/7497–7514 दिनांक 12.03.2020 (आदेश संख्या 2/2020) एवं संशोधित विनियम समसंख्यक आदेश क्रमांक 1805 दिनांक 27.11.2020 (आदेश संख्या 10/2020) की पालना की जावें। संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु आवश्यक पात्रता आयु, शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यताएं निम्नानुसार है, जिनके लिए सोसायटी के विनियमों में वर्णित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें।

ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं (Qualifications) होनी आवश्यक है।

1. शैक्षणिक योग्यताएं – पुरूष एवं महिला वर्ग के लिए स्नातक या समकक्ष परीक्षा उतीर्ण।
2. प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यताएं – **RSCIT** का या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सूचना प्रोद्योगिकी/कम्प्युटर संबंधी अन्य उपयुक्त डिप्लोमा/डिग्री/प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
3. आयु – आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 वर्ष से 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। संसाधन व्यक्ति की 65 वर्ष की आयु तक या राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने की पात्रता रहेगी।
4. आवेदन सिविल सोसायटी/संगठन से होना चाहिए।
5. आवेदक राजकीय कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
6. आवेदन–कर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिए।

5. चयन प्रक्रिया :–

1. उपरोक्त सभी आहरताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :–
   (क) उपरोक्त बिन्दु संख्या 4(1)(2) एवं (3) के लिए संबंधित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंकतालिकाएं, प्रमाण पत्र।
   (ख) बिन्दु संख्या 4(5) के लिए स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र।
   (ग) बिन्दु संख्या 4(6) के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
   (घ) बिन्दु संख्या 4(4) के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत सिविल सेवा संस्थाओं/सिविल सोसायटी संगठनों/इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अहर्ता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किये गये कार्य एवं उसके पेटे आवेदक को किये गये भुगतान का विवरण अंकित हो।
2. आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 60 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है।
3. आवेदक की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है। अन्यथा आवेदकों की संख्या (पदों की संख्या से 3 गुणा कम) कम होने पर योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर वरियता सूची तैयार कर उपलब्ध पदों के विरूद्ध 1.5 गुणा आवेदकों की वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जावेगी।
4. लिखित परीक्षा आयोजित न करने की स्थिति में सभी पदों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्ताकों के प्रतिशत एवं उच्चतम प्रशैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्ताकों के प्रतिशत का औसत लिया जाकर उसके आधार पर वरीयता सूची (Merit List) तैयार की जावेगी।
5. आवेदन कर्त्ता को उसके गृह वाली ग्राम पंचायत (मूल निवास वाली ग्राम पंचायत) का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आंवटित नहीं किया जावेगा। इस हेतु आवेदक का मूल निवास प्रमाण–पत्र आधार माना जावेगा।
6. ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण आदि अन्य योजनाओं के लाभार्थी परिवारों के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
7. ग्राम संसाधन व्यक्ति के रूप में तीन सफल सामाजिक अंकेक्षण करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
8. ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के (संविदा कार्मिकों) चयन में राज्य सरकार में प्रचलित आरक्षण/रोस्टर प्रणाली के प्रावधानों की पालना करवाई जावेगी।
9. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जिला कार्यक्रम समन्वयक कार्यालय स्तर पर ऑनलाइन प्राप्त किया जावेगा।

6. ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत कराने की अंतिम तिथिः–

ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 26.07.2023 से दिनांक 02.08.2023 को मध्य रात्रि 12:00 बजे तक संबंधित जिला कार्यक्रम समन्वयक की ई–मेल आई.डी. **brpnagaur2023@gmail.com** पर प्रेषित किये जायेगें।

7. मेरिट बनाना एवं दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों की सत्यापनः–

1. दस्तावेजों की सत्यता एवं विधि सम्मतता के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगें। इनमें किसी भी प्रकार की अवैधानिकता, अपूर्णता या हेराफेरी के लिये आवेदक को चयन से वंचित करने के अलावा उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
2. दस्तावेजों की भौतिक सत्यापन संबंधित चयन समिति द्वारा किया जावेगा और इसके पश्चात् ही ही अन्तिम वरीयता सूची तैयार की जावेगी। भौतिक सत्यापन का कार्यक्रम जिले की वेबसाइट/सोसायटी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जावेगा। भौतिक सत्यापन हेतु अनुपस्थित रहे व्यक्ति का नाम यह मानते हुए कि वे इस कार्य हेतु रूचि नहीं रखते हैं वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

8. ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की जो संविदा सेवायें लिया जाना प्रस्तावित हैं, वे पूर्णतः अस्थायी तौर पर ली जा रही है। भविष्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थायीकरण या राजकीय सेवा में लिये जाने बाबत् कोई भी अधिकार या दावा न्यायालय में वाद स्वीकार नहीं किया जावेगा। मासिक संविदा आधारित सेवाओं पर चयनित व्यक्तियों से केवल एक वर्ष का अनुबन्ध किया जावेगा। अनुबन्ध अवधि समाप्ति के उपरांत पुराने अनुबंध की अवधि में वृद्धि नहीं की जावेगी वरन् सामाजिक अंकेक्षण कार्य के इच्छुक एवं पात्रताधारी/संतोषप्रद कार्य सम्पादन के आधार पर छंटनी की जाकर आगामी 1 वर्ष के लिए नवीन अनुबंध ही किया जावेगा। चयनित व्यक्ति को 100 रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र भरना होगा कि वे राजकीय सेवा के लिए अपना दावा राज्य सरकार अथवा किसी भी न्यायालय में पेश नहीं करेंगे ये सेवायें पूर्णतः अस्थायी एवं मासिक संविदा आधारित है।

9. कोई भी आवेदक किसी भी राजनैतिक दल अथवा किसी भी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए। चयनित व्यक्ति पूर्णतः निष्पक्षता पूर्वक गैर राजनैतिक रूप से सामाजिक अंकेक्षण कार्य सम्पादित करेंगे।

10. उपरोक्त समस्त चयन प्रक्रिया में कोई भी कठिनाई आने पर उसके समाधान करने, कोई विवाद होने पर अंतिम निपटारा करने हेतु समस्त अधिकार इन सेवाओं के नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति (EC) SSAAT को प्राप्त होगें।

11. विवाद की स्थिति में सभी प्रकरणों में न्यायक्षेत्र केवल नागौर जिला न्यायालय होगा।

संलग्नः– **जिलों को आंवटित ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के स्वीकृत पदों की संख्या की सूची।**

जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं जिला कलक्टर नागौर

फोटो

जिला ....

आवेदन पत्र का प्रारूप

ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदक का नाम .... जन्म की तारीख..आयु (दिनांक............10.2022 को) वर्ष.......... माह..........

पिता / पति का नाम..माता का नाम..विवाहिक स्थिति..............................वर्ग...........विशेष वर्ग.........

वार्षिक पारिवारिक आय .... मोबाईल नंबर..वैकल्पिक मोबाईल नंबर..

ई–मेल.............................. स्थाई पता..गॉव का नाम .... ग्राम पंचायत का नाम..............................

पंचायत समिति का नाम .... जिला.. आधार नंबर ....

पत्राचार का पता ....

शैक्षणिक योग्यता

कसं	परीक्षा का नाम	विषय समूह	बोर्ड / विश्व विद्यालय का नाम	रोल नंबर	परिणाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत

तकनीकी योग्यता

कसं	परीक्षा का नाम	विषय समूह	बोर्ड / विश्व विद्यालय का नाम	अनुकमांक	परिणाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	RSCIT								
2	Degree/ Diploma								
3.									

क्या आप शारीरिक रूप से समर्थ एवं स्वस्थ है ? हॉ / नहीं

क्या आपने कभी निम्नलिखित के साथ काम किया है / अनुभव : हॉ / नहीं यदि हॉ तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

कसं	पद का नाम	अवधि से	अवधि तक	सेवा की अवधि	प्राप्त मासिक वेतन	कर्तव्य की प्रकृति
1.	ग्राम विकास विभाग / पंचायतीराज विभाग					
2.	सामाजिक अंकेक्षण					
3.	गैर सरकारी संगठन					

डिबारमेंट / आपराधिक मामलों का विवरण

क्या किसी बोर्ड / लोक सेवा आयोग में आपको अपनी प्रतियोगिता / भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों आदि के प्रयोग के लिए वर्जित किया है। हॉ / नहीं

क्या आपको कभी किसी अपराध के लिए सजा हुई है। हॉ / नहीं

दिनाक

आवेदक के हस्ताक्षर

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT)
माह मार्च 2022 में सम्पादित सामाजिक अंकेक्षण का जिलेवार विवरण

क.सं.	जिलों के नाम	कुल पंचायत समितियों की संख्या	ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के स्वीकृत पदो की संख्या (अनुपातिक आधार पर)
1	AJMER	325	54
2	ALWAR	584	97
3	BANSWARA	419	70
4	BARAN	235	39
5	BARMER	689	115
6.	BHARATPUR	403	67
7	BHILWARA	398	66
8	BIKANER	367	61
9	BUNDI	184	31
10	CHITTORGARH	299	50
11	CHURU	304	51
12	DAUSA	288	48
13	DHOLPUR	189	32
14	DUNGARPUR	353	59
15	HANUMANGARH	269	45
16	GANGANAGAR	345	58
17	JAIPUR	602	100
18	JAISALMER	206	34
19	JALORE	307	51
20	JHALAWAR	254	42
21	JHUNJHUNU	337	56
22	JODHPUR	629	105
23	KARAUI	243	40
24	KOTA	158	26
25	NAGUR	500	83
26	PALI	341	57
27	PRATAPGARH	235	39
28	RAJSAMAND	214	35,
29	SAWAI MADHOPUR	229	38
30	SIKAR	375	62
31	SIROHI	171	28
32	TONK	236	39
33	UDAIPUR	652	108
	कुल योग	11340	1886

D/mamta medam/list

(F) 42

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम 2020

क्रमांक एफ 61(21)SSAAT/नियमावली/2019/7497 दिनांक 12-3-2020
(आदेश सं. 2/2020)

सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी की शासी निकाय की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2019 के निर्णय संख्या 1.5 एवं कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 24.02.2020 के निर्णय संख्या 1.4 की पालना में सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी में सामाजिक अंकेक्षण कार्य को विधिवत रूप से क्रियान्वित करने हेतु सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम, 2020 निम्नानुसार होंगे :-

1. ये विनियम सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी चयन संबंधी विनियम, 2020 कहलायेंगें।
2. ये विनियम सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी में संविदा के आधार पर लिये जाने वाले सामाजिक विकास विशेषज्ञ तथा राज्य/जिला/ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु लागू होंगें।
3. इस प्रयोजनार्थ नियुक्ति प्राधीकारी अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं प.रा. विभाग होंगे।
4. सोसायटी में उपरोक्त वर्णित मानव संसाधन के चयन एवं अनुबंध प्रकिया सम्बन्धी विनियम निम्नानुसार रहेंगे :-

अ – सामाजिक विकास विशेषज्ञ –

सामाजिक विकास विशेषज्ञ के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं (Qualifications) होनी आवश्यक हैं :-

i) शैक्षणिक योग्यता – कम से कम स्नातकोत्तर या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
ii) प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता – सूचना प्रोद्योगिकी/कम्प्यूटर में डिप्लोमा/डिग्री धारक
iii) आवेदनकर्ता राजकीय अधिकारी/कर्मचारी नहीं होना चाहिये ।
iv) आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिए।
v) आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 से 40 वर्ष के मध्य
vi) आवेदक सिविल सोसायटी का प्रतिनिधि हो, जिसे कम से कम 5 वर्ष का सामाजिक अंकेक्षण/जवाबदेही से सम्बन्धित कार्यों (Social Audit/Accountability related issues) का तथा गरीबों के अधिकारों पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव होना अनिवार्य है ।

चयन प्रक्रिया –

i) उपरोक्त सभी अहर्ताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे –
   (क) उपरोक्त बिन्दु संख्या अ–(i)(ii) एवं (v) के लिए सम्बन्धित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र
   (ख) बिन्दु संख्या अ–(iii) के लिए स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र
   (ग) बिन्दु संख्या अ–(iv) के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
   (घ) बिन्दु संख्या अ–(vi) के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं/सिविल सोसायटी संगठनों/ इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अहर्ता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किये गये कार्य एवं उसके पेटे आवेदक को किये गये भुगतान का विवरण भी अंकित हो।

ii) आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें 60 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है।

iii) आवेदको की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है अन्यथा आवेदकों की संख्या (पदों की संख्या से 3 गुणा से कम) कम होने पर योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर वरियता सूची तैयार कर उपलब्ध पदो के विरूद्ध 1.5 गुणा आवेदकों की वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जावेगी।

iv) लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों/आवेदकों की संख्या कम होने की स्थिति में योग्यता संबंधी मापदण्डो के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (Merit List) बनाई जावेगी, जिसके आधार पर नियुक्ति की जानी है।

v) नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन उपरान्त संविदा आधार पर वरीयता सूची में से एक वर्ष के लिए नियुक्ति दी जा सकेगी।

ब – राज्य संसाधन व्यक्ति –

राज्य संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं (Qualifications) होनी आवश्यक हैं :–

i) शैक्षणिक योग्यता – कम से कम स्नातकोत्तर/MSW (Master in Social Work) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
ii) प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता – सूचना प्रोद्योगिकी/कम्प्यूटर में डिप्लोमा/डिग्री धारक
iii) आवेदनकर्ता राजकीय अधिकारी/कर्मचारी नहीं होना चाहिये ।
iv) आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिए।
v) आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 से 40 वर्ष के मध्य
vi) आवेदक सिविल सोसायटी/स्वयं सेवी संगठन से होना चाहिये, जिसे कम से कम 5 वर्ष का (Grass Root experience working on right based issues) होना चाहिये। सामाजिक अंकेक्षण/जवाबदेही से सम्बन्धित कार्यों (Social Audit/Accountability related issues) का तथा गरीबों के अधिकारों पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव होना अनिवार्य है ।

चयन प्रक्रिया –

i) उपरोक्त सभी अहर्ताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे –
   (क) उपरोक्त बिन्दु संख्या ब–(i)(ii) एवं (v) के लिए सम्बन्धित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र
   (ख) बिन्दु संख्या ब–(iii) के लिए स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र
   (ग) बिन्दु संख्या ब–(iv) के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
   (घ) बिन्दु संख्या ब–(vi) के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं/सिविल सोसायटी संगठनों/ इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अहर्ता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किये गये कार्य एवं उसके पेटे आवेदक को किये गये भुगतान का विवरण भी अंकित हो।

ii) आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें 60 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है ।

iii) आवेदको की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित हैं अन्यथा आवेदकों की संख्या (पदों की संख्या से 3 गुणा से कम) कम होने पर योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर वरियता सूची तैयार कर उपलब्ध पदो के विरूद्ध 1.5 गुणा आवेदकों की वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जावेगी।

iv) लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों/आवेदकों की संख्या कम होने की स्थिति में योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (Merit List) बनाई जावेगी, जिसके आधार पर नियुक्ति की जानी है।

v) नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन उपरान्त संविदा आधार पर वरीयता सूची में से एक वर्ष के लिए नियुक्ति दी जा सकेगी।

स – जिला संसाधन व्यक्ति :–

जिला संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं (Qualifications) होनी आवश्यक हैं :–

i) शैक्षणिक योग्यता – कम से कम स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण

ii) प्रशैक्षणिक / तकनीकी योग्यता – सूचना प्रोद्योगिकी / कम्प्यूटर में डिप्लोमा / डिग्री धारक
iii) आवेदनकर्ता राजकीय अधिकारी / कर्मचारी नहीं होना चाहिये ।
iv) आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिए।
v) आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 से 40 वर्ष के मध्य
vi) आवेदक सिविल सोसायटी / संगठन से होना चाहिये, जिसे कम से कम 5 वर्ष का (Grass Root experience working on right based issues) होना चाहिये। सामाजिक अंकेक्षण / जवाबदेही से सम्बन्धित कार्यों (Social Audit/Accountability related issues) का तथा गरीबों के अधिकारों पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव होना अनिवार्य हैं।

चयन प्रक्रिया –

i) उपरोक्त सभी अहर्ताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे –
(क) उपरोक्त बिन्दु संख्या स–(i)(ii) एवं (v) के लिए सम्बन्धित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक / तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र
(ख) बिन्दु संख्या स–(iii) के लिए स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र ।
(ग) बिन्दु संख्या स–(iv) के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
(घ) बिन्दु संख्या स–(vi) के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं / सिविल सोसायटी संगठनों / इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अहर्ता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किये गये कार्य एवं उसके पेटे आवेदक को किये गये भुगतान का विवरण भी अंकित हो।
ii) आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें 60 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है ।
iii) आवेदको की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है अन्यथा आवेदकों की संख्या (पदों की संख्या से 3 गुणा से कम) कम होने पर योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर वरियता सूची तैयार कर उपलब्ध पदो के विरूद्ध 1.5 गुणा आवेदकों की वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जावेगी।
iv) लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों / आवेदकों की संख्या कम होने की स्थिति में योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (Merit List) बनाई जावेगी, जिसके आधार पर नियुक्ति की जानी है।
v) नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन उपरान्त संविदा आधार पर वरीयता सूची में से एक वर्ष के लिए नियुक्ति दी जा सकेगी।
vi) आवेदनकर्ता को उसके गृह जिले (मूल निवास जिले) का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जावेगा। इस हेतु आवेदक का मूल निवास प्रमाण–पत्र आधार माना जावेगा ।

द – ब्लॉक संसाधन व्यक्ति :–

ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं (Qualifications) होनी आवश्यक हैं :–

i) शैक्षणिक योग्यता – पुरूष वर्ग एवं महिला वर्ग के लिए स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
ii) प्रशैक्षणिक / तकनीकी योग्यता – सूचना प्रोद्योगिकी / कम्प्यूटर कार्य में दक्षता अनिवार्य है।
iii) आवेदनकर्ता राजकीय अधिकारी / कर्मचारी नहीं होना चाहिये, परन्तु सेवानिवृत राजकीय कर्मचारी पात्र होगें।
iv) आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिए।
v) आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 से 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिए । संसाधन व्यक्ति की अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक या राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने की पात्रता रहेगी ।
vi) आवेदक सिविल सोसायटी / संगठन से होना चाहिये।

चयन प्रक्रिया –

i) उपरोक्त सभी अहर्ताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे –

(क) उपरोक्त बिन्दु संख्या द-(i)(ii) एवं (v) के लिए सम्बन्धित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र

(ख) बिन्दु संख्या द-(iii) के लिए स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र

(ग) बिन्दु संख्या द-(iv) के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र

(घ) बिन्दु संख्या द-(vi) के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं/सिविल सोसायटी संगठनों/ इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अहर्ता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किये गये कार्य एवं उसके पेटे आवेदक को किये गये भुगतान का विवरण भी अंकित हो।

ii) आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमे 60 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है ।

iii) आवेदको की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है अन्यथा आवेदकों की संख्या (पदों की संख्या से 3 गुणा से कम) कम होने पर योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर वरियता सूची तैयार कर उपलब्ध पदो के विरुद्ध 1.5 गुणा आवेदकों की वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जावेगी।

iv) लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों/आवेदकों की संख्या कम होने की स्थिति मे योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर सफल अभ्यर्थियो की वरीयता सूची (Merit List) बनाई जावेगी, जिसके आधार पर नियुक्ति की जानी है।

v) आवेदनकर्ता को उसके गृह वाली ग्राम पंचायत्त (मूल निवास वाली ग्राम पंचायत) का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जावेगा। इस हेतु आवेदक का मूल निवास प्रमाण-पत्र आधार माना जावेगा ।

vi) ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आदि अन्य योजनाओं के लाभार्थी परिवारों के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

vii) ग्राम संसाधन व्यक्ति के रूप में 3 सफल सामाजिक अंकेक्षण करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

य – ग्राम संसाधन व्यक्ति :–

ग्राम संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं (Qualifications) होनी आवश्यक हैं :–

i) कक्षा 10वीं पास अभ्यर्थियों को पात्र माना जावेगा।

ii) आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 से 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिए । संसाधन व्यक्ति की अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक या राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने की पात्रता रहेगी ।

iii) आवेदनकर्ता राजकीय अधिकारी/कर्मचारी नहीं होना चाहिये, परन्तु सेवानिवृत राजकीय कर्मचारी पात्र होगें।

iv) ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आदि के लाभार्थी परिवारों के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

v) यदि उक्त बिन्दु सं0 (ii) के अनुसार पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध ना हो तो दसवीं पास कोई भी शिक्षित व्यक्ति चयन हेतु पात्र माना जायेगा।

vi) कक्षा 10वीं पास अभ्यर्थी नहीं मिले तो इस शर्त में जिला चयन समिति/सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी उपयुक्त शिथिलता देने हेतु सक्षम होगी।

vii) सूचना प्रोद्योगिकी/कम्प्युटर में दक्षता प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। दक्षता जॉचने के लिए आवश्यकतानुसार उपयुक्त टैस्ट लिया जा सकेगा।

चयन प्रक्रिया –

उपरोक्त सभी अहर्ताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे –

(क) उपरोक्त बिन्दु संख्या य-(i) एवं (ii) के लिए सम्बन्धित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक योग्यता परीक्षा की अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र

(ख) बिन्दु संख्या य-(iii) के लिए स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र

i) आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी।

ii) आवेदको की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है अन्यथा आवेदकों की संख्या (पदों की संख्या से 3 गुणा से कम) कम होने पर उच्चतर शैक्षिक योग्यताधारी आवेदकों को प्राथमिकता से चयन किया जावेगा अन्यथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी मापदण्डों (कक्षा 10 के प्राप्तांकों) के आधार पर वरियता सूची तैयार कर उपलब्ध पदो के विरूद्ध 1.5 गुणा आवेदकों की वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जावेगी।

iii) लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों/आवेदकों की संख्या कम होने की स्थिति में योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (Merit List) बनाई जावेगी, जिसके आधार पर नियुक्ति की जानी है।

iv) आवेदनकर्ता को उसके गृह वाली ग्राम पंचायत (मूल निवास वाली ग्राम पंचायत) का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जावेगा।

5. चयन प्रक्रिया के अन्य सामान्य बिन्दु :-

i) सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी कार्यवाही सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी द्वारा इन विनियमों के अनुसार सम्पादित की/करायी जावेगी, परन्तु वास्तविक कार्य सम्पादन में यदि कोई कठिनाइयॉं पेश आवे तो सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी की शासी निकाय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी इन नियमों में युक्तियुक्त शिथिलता देने हेतु सक्षम होंगे।

ii) चयन प्रकिया में सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति, जिला संसाधन व्यक्ति, ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्ति के लिए आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क की राशि रूपये 100/- अथवा आंकलन कर ऐसी उचित राशि रखी जावेगी, जो उक्त कार्य के व्यय की प्रति पूर्ति हेतु पर्याप्त हो, इसे लाभार्जन का जरिया नहीं बनाया जावेगा।

iii) संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी कार्यवाही सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी द्वारा स्वय अथवा किसी उपयुक्त एजेन्सी के माध्यम से सम्पन्न करवाई जा सकती है ।

कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक में सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी में उपयुक्त संसाधनों/सक्षमता के अभाव में निर्णय किया गया कि चयन प्रक्रिया हेतु किसी राजकीय संस्था यथा अरावली, राईसम (जो नियुक्ति प्रक्रिया सम्पादन हेतु अधिकृत हो) अथवा अन्य कोई योग्य संस्था की सेवायें ली जावें, जिससे राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत सीधे ही (बिना निविदा के) अथवा खुली निविदा प्रकिया अपनाकर चयन संबंधी कार्य सम्पादन कराया जा सके।

iv) संबंधित पदों हेतु आवेदकों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है अन्यथा आवेदकों की संख्या कम (पदों की संख्या से 3 गुणा से कम) होने पर उनकी योग्यता सबंधी मापदण्डों के आधार पर वरियता सूची तैयार कर उपलब्ध पदों के विरूद्ध 1.5 गुणा पात्र आवेदकों की वरियता सूची (Merit List) तैयार की जावेगी।

v) लिखित परीक्षा आयोजित न करने की स्थिति में सभी पदो के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत एवं उच्चतम प्रशैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत लिया जाकर उसके आधार पर वरियता सूची (Merit List) तैयार की जावेगी।

vi) सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं सभी संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन हेतु अखबार एवं वेबसाईट पर विज्ञप्ति जारी करके आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जावेंगे।

vii) संविदा कार्मिकों के चयन में राजस्थान सरकार में प्रचलित आरक्षण/रोस्टर प्रणाली के प्रावधानों की पालना नियमानुसार की जावेगी।

viii) चयनित व्यक्तियों में से केवल एक वर्ष के लिए ही अनुबंध किया जावेगा एवं अनुबंध अवधि समाप्ति के उपरान्त पुराने अनुबंध की अवधि में वृद्धि नहीं की जावेगी वरन् सामाजिक अंकेक्षण कार्य के इच्छुक एवं पात्रताधारी/संतोषप्रद कार्य सम्पादन के आधार पर छंटनी की जाकर आगामी एक वर्ष के लिए

नवीन अनुबंध ही किया जावेगा। इस प्रकार पूर्व में कार्यरत नवीन अनुबंध हेतु उपलब्ध संसाधन व्यक्तियों से अधिक कार्मिकों की आवश्यकता होने की स्थिति में केवल अतिरिक्त संविदा कर्मियों हेतु उपयुक्त चयन प्रकिया अपनाई जावेगी।

ix) सभी पात्र आवेदक अपने आवेदन पत्र निर्धारित कार्यालय में अथवा ऑनलाईन निर्धारित ई–मेल/वेब पोर्टल पर ही प्रस्तुत करेंगे।

x) भारत सरकार की महात्मा गांधी नरेगा योजना के Annunal Master Circular 2019-20 के बिन्दू संख्या 10.1.4.2 के अनुसार सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य/जिला संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु निम्नानुसार चयन समिति होगीं :–

क– मुख्य सचिव या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि

ख–अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं प.रा. वि.

ग– निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (Member Convenor)

घ– राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज संस्थान के सामाजिक अंकेक्षण केन्द्र (Center for Social Audit)/सिविल सोसायटी संगठनों के राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/महिला बाल विकास विभाग/विधि विभाग के प्रतिनिधि

xi) ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु निम्नानुसार चयन समिति होगीं।:–

क– जिला कलेक्टर या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि (जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर से न्यून पद धारी न हो।)

ख– अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद

ग– कोषाधिकारी

घ– सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी का प्रतिनिधि

xii) संबंधित ब्लॉक में ग्राम संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु निम्नानुसार चयन समिति होगीं।:–

क– उपखण्ड अधिकारी

ख– विकास अधिकारी, पंचायत समिति

ग– उप कोषाधिकारी

घ– सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी का प्रतिनिधि

xiii) सभी पदो के लिए चयन हेतु आवेदन पत्रों की जांच, परीक्षा आयोजन किया जाना आदि समस्त कार्यवाही सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी के निर्णय के अनुसार की जावेगी तथा विधिवत वरीयता सूची (Merit List) बनाकर नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत की जावेगी।

xiv) नियुक्ति प्रक्रिया एवं परिणाम आदि का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जावेगा।

6. **<u>सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन उपरान्त अनुबन्ध किये जाने की प्रकिया :–</u>**

i) सामाजिक विकास विशेषज्ञ/राज्य संसाधन व्यक्ति/जिला संसाधन व्यक्ति/ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के चयन उपरान्त भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय ग्रमीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRD), हैदराबाद के मार्गदर्शन में 30 दिवसीय सफल प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त एक वर्ष के लिए अनुबन्ध किया जा सकेगा।

ii) ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए तीन सफल सामाजिक अंकेक्षण का अनुभव होना आवश्यक है ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों को तीन सफल सामाजिक अंकेक्षण के अनुभव की पूर्ति हेतु पूर्व वर्षो में सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु किये गये भुगतान बाबत प्रमाण पत्र संबंधित विकास अधिकारी की ओर से प्राप्त कर आवेदक को प्रस्तुत करना होगा। पूर्व में तीन सामाजिक अंकेक्षण प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में अभ्यर्थी यह शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह चयन उपरान्त तीन माह की अवधि में तीन सफल सामाजिक अंकेक्षण सम्पादित कर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देगा। प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने उपरान्त ही अभ्यर्थी से विधिवत् एक वर्ष के लिए संविदा अनुबन्ध हस्ताक्षरित करवाई जा सकेगी।

iii) ग्राम संसाधन व्यक्तियों को 4 दिवसीय प्रशिक्षण होगा । प्रशिक्षण उपरान्त ही एक वर्ष के लिए अनुबन्ध किया जा सकेगा ।

iv) सामाजिक विकास विशेषज्ञ/राज्य संसाधन व्यक्ति/जिला संसाधन व्यक्तियों को भारत सरकार के निर्देशानुसार नियत मासिक संविदा राशि देय होगी।

v) ब्लॉक/ग्राम ससाधन व्यक्तियों को भारत /राजस्थान सरकार/सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी के निर्णयानुसार अनुमोदित दरों पर, दैनिक आधार पर मानदेय राशि का भुगतान किया जावेगा।

vi) ब्लाक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्ति चयन के उपरांत पात्रता सूचि में से सूचीबद्व (List of Empanelled Resource Persons) रखे जावेंगे, जिनकी आवश्यकतानुसार दैनिक मानदेय भुगतान के आधार पर इच्छुक लोगों को सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु लगाया जा सकेगा।

vii) किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा ।

उक्त विनियम श्रीमान मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी की आई.डी. संख्या 1572/सी.एस./2020 दिनांक 11.03.2020 द्वारा अनुमोदित है ।

Sd/-
(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
ग्रा.वि. एवं प. राज. विभाग सह अध्यक्ष,
कार्यकारी समिति (SSAAT)

क्रमांक एफ 61(21)SSAAT/नियमावली/2019/7498-7514 दिनांक 12/3/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान
2. विशिष्ट सहायक, मा. उपमुख्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
3. वरिष्ठ उप सचिव, श्रीमान् मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष शासी निकाय SSAAT
4. निजी सचिव, श्रीमान् अति. मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं प.रा. विभाग सह अध्यक्ष कार्यकारी समिति SSAAT
5. संयुक्त शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रा.वि.मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
6. निजी सचिव, श्रीमान प्रधान महालेखाकार, राजस्थान
7. निजी सचिव, शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग,
8. निजी सचिव, शासन सचिव श्रम एवं रोजगार विभाग,
9. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक पंचायती राज विभाग,
10. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा,
11. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रा. वि. विभाग सह उपाध्यक्ष कार्यकारी समिति SSAAT
12. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
13. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, जयपुर को उन्हें प्रस्तुत सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों की पत्रावली पर भेजे गये प्रस्ताव के कम में प्रेषित है।
14. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग
15. निदेशक, SSAAT सह सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति SSAAT
16. प्रभारी अधिकारी वेब साईट, ग्रामीण विकास विभाग/पंचायतीराज विभाग/महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग की वेबसाईट पर इन विनियमों को स्थायी रूप से प्रकाशित कराने का श्रम करें।
17. रक्षित पत्रावली।

12/3/2020
(रामावतार शर्मा)
निदेशक एवं सदस्य सचिव
कार्यकारी समिति, SSAAT

341

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

सामाजिक लेखा परीक्षा,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान जयपुर

(E mail: DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN 2227725)

दिनांक 21-11-[illegible]

क्रमांक:- एफ 61(21)SSAAT/नियमावली/2019 / 1305

(आदेश 10/2020)

सामाजिक विकास विशेषज्ञ एव अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम, 2020 मे संशोधन

सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की शासी निकाय की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2019 के निर्णय संख्या–1.5 एवं कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 24.02.2020 के निर्णय संख्या–1.4 की पालना में सोसायटी के सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम, 2020 इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: एफ 61 (21) SSAAT /नियमावली / 2019 / 7497–7514 दिनांक 12.03.2020 के द्वारा जारी किये गये है।

वर्तमान में कोविड–19 वैश्विक महामारी के प्रभाव के प्रकाश में सोसायटी की कार्यकारी समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 29.07.2020 में इन नियमों के प्रावधानों पर पुनः विचार विमर्श किया गया और निर्णय संख्या 2.1 के द्वारा इन नियमों में उपयुक्त संशोधन किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। उपरोक्त निर्णय की पालना में पूर्व में जारी किये गये संदर्भित आदेश क्रमांक एफ 61(21) SSAAT नियमावली / 2019 / 7497–7514 दिनांक 12.03.2020 में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं:-

1. सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम,2020 के नियम 5(IV)–लिखित परीक्षा आयोजन तथा नियम 5(V) शैक्षणिक व प्रशिक्षणिक योग्यता परीक्षाओं में प्राप्तांक के प्रतिशत का औसत के आधार पर चयन संबंधी प्रावधानों में निम्न संशोधन किया जाता है –

   "सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति, जिला संसाधन व्यक्ति, ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्ति के लिए इन नियमों में लिखित परीक्षा आयोजन किये जाने के प्रावधान को कोविड–19 की परिस्थितियों को मध्यनजर हटाया जाता है। अब चयन हेतु लिखित परीक्षा के स्थान पर इन नियमों में प्रावधित केवल न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (Minimum Educational Qualification) के प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर ही (प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों को शामिल किये बिना) वरीयता सूची बनाकर चयन प्रक्रिया संपादित की जावेगी।"

2. ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों BRPs की प्रशैक्षणिक योग्यता के संबंध उपरोक्त नियमों के प्रावधान में [illegible] (d) (ii)– "प्रशैक्षणिक / तकनीकी योग्यता–सूचना प्रौद्योगिकी / कम्प्यूटर कार्य में दक्षता [illegible] निम्नानुसार प्रावधान जोड़ा जाता है:–

   "Rajasthan Knowledge Corporastion Ltd.(RKCL) द्वारा करवाये जा रहे कम्प्यूटर प्रशिक्षण [illegible] (RSCIT) या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सूचना प्रौद्योगिकी / कम्प्यूटर संबंधी [illegible] डिप्लोमा / डिग्री / प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा"।

3. सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति, जिला संसाधन व्यक्ति, ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया संपादित करने हेतु नियमानुसार (RTPP Act.2013 & RTPP Rules.2013 के प्रावधानानुसार) चयनित संस्था / संवेदक के माध्यम से केवल ऑनलाईन (Online) मोड से पूर्ण पारदर्शिता के साथ आवेदन–पत्र लिए जावेंगे। अनुमोदित संस्था / संवेदक द्वारा आवेदकों द्वारा प्रस्तुत संबंधी सभी शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जाँच की [illegible] पारदर्शिता पूर्वक सभी आवेदकों की सामान्य वरीयता सूची और आरक्षण हेतु आधारित [illegible]

...सूचना आवश्यकतानुसार पूर्ण वस्तुनिष्ठता से (Objectively) तैयार की जाकर सोसायटी को उपलब्ध करायी जायेगी।

...का संशोधन तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

उपरोक्त सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन सम्बन्धी विनियम, 2020 ... श्रीमान् मुख्य सचिव, सह अध्यक्ष, शासी निकाय (SSAAT) की आई.डी.संख्या ...-/सीएस/2020 दिनांक 26.8.2020 द्वारा अनुमोदित है।

(रामावतार शर्मा)
निदेशक
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT)

...6(21)SSAAT/नियमावली/2019/ 18068 22 दिनांक 27-11-2020

...लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

... सचिव, मा.मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
... उप सचिव, मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष महो. शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं ...र्शिता सोसायटी (SSAAT)।
... सचिव, अति. मुख्य सचिव एवं सह अध्यक्ष कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही ...दर्शिता सोसायटी (SSAAT)।
... शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ग्रा.वि. मंत्रालय, भारत–सरकार, नई दिल्ली।
... महालेखाकार, राजस्थान।
... सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
... सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग।
... सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
...यक, महात्मा गांधी नरेगा।
... शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सह उपाध्यक्ष कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, ...बदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)।
... सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
... शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग
... राज्यकक्ष ग्रामीण विकास विभाग।
...कि, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी(SSAAT)।
... अधिकारी वेबसाईट ग्रामीण विकास विभाग/पंचायती राज विभाग/महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान ... को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग की वेबसाईट पर इन संशोधित विनियमों को स्थायी ... प्रकाशित करवाने का श्रम करें।
...अध्यक्ष/सहायक लेखाधिकारी-I/II/प्रोग्रामर
... पत्रावली।

27/11/2020

(रामावतार शर्मा)
निदेशक
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)